



ALL INDIA LOCO RUNNING STAFF ASSOCIATION

MUMBAI DIVISION CENTRAL RAILWAY

Regd. No. 17903 H/Q Aravindapalli, Lower Beniasole, Post. – Adra .Distt. Purulia (W.B.) Pin 723121

Central Office : AILRSA BHAWAN, H.No. 333, Bhoor Bharat Nagar, Ghaziabad – 201001.Tel. No. : 0120-2740025

VIRENDRA SINGH

H B SINGH

R. K. SHARMA

Divisional President
Mob : 9969301897

Divisional Treasurer
Mob: 9004442686

Divisional Secretary
Mob : 8097169215

ailrsamumbai@gmail.com

Mumbai office:-104/9, KUSH AYODHYA NAGARI HENDREPADA, BADLAPUR WEST,THANE,MH 421503

Letter No. AILRSA/DRM/Tail Lamp, Detonators , FSD/10/2026

Date:- 08.10.2026

To,

The Chairman & Chief Executive Officer, Rail Bhavan, New Delhi.

The General Manager, Central Railway, CSMT

The Divisional Railway Manager (DRM), Mumbai Division, Central Railway.

विषय : -1.Railway Board के पत्र No. 2026/TT-IV/12/2 Misc. दिनांक 23.09.2026 के अंतर्गत Goods Train में Tail Lamp की व्यवस्था एवं LP/ALP द्वारा उसके Take-over/Hand-over के निर्देश के संबंध में पुनर्विचार हेतु।

2.Loco Pilot/Assistant Loco Pilot को Detonators व्यक्तिगत रूप से carry करने के लिए बाध्य किए जाने के संबंध में—सुरक्षित एवं वैधानिक वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु।

3.Loco Pilot/Assistant Loco Pilot को Fog Safe Device (FSD) व्यक्तिगत रूप से carry करने के निर्देश के संबंध में—सुरक्षित एवं वैकल्पिक व्यवस्था हेतु।

महोदय,

AILRSA, मुंबई मंडल की ओर से सम्मान के साथ उपरोक्त Railway Board के निर्देश और शुरू की गई आत्मघाती प्रथा के संबंध में संगठन का गंभीर आपत्ति/प्रतिनिधित्व प्रस्तुत है। और साथ ही हम निम्न हस्ताक्षरित लोको रनिंग स्टॉफ ने यह सामूहिक निर्णय लिया है कि हम दिनांक 01.11.2026 से FSD, DETONATORS, और TAIL LAMP को खुद से नहीं ढोएंगे केवल ट्रेन के सुरक्षित संचालन हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग करेंगे ।

1.Regarding giving the responsibility of Train Manager's duties to LP/ALP and providing TAIL LAMP

G&SR के Rule 4.25 एवं S.R. 4.25-1 के अनुसार running train में Guard/Train Manager की व्यवस्था मूलतः safety requirement है। बिना

Guard/Train Manager Goods Train का संचालन केवल निर्धारित परिस्थितियों एवं prescribed conditions के अधीन एक अपवादात्मक व्यवस्था है। इसे नियमित operational/manpower arrangement के रूप में अपनाया जाना न तो उचित है और न ही इसके कारण Train Manager के safety-related कार्यों का भार Loco Pilot/Assistant Loco Pilot पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

Railway Board के दिनांक 23.09.2026 के पत्र में Goods Train working without Train Manager के संदर्भ में LP/ALP द्वारा Tail Lamp को lobby पर take-over एवं hand-over करने का निर्देश दिया गया है। संगठन का स्पष्ट मत है कि Tail Lamp की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक अलग विषय है, जबकि उसे LP/ALP के व्यक्तिगत भार एवं नियमित carrying duty में परिवर्तित करना अलग विषय है।

LP/ALP पहले से ही अत्यंत safety-critical duty का निर्वहन करते हैं। उन्हें locomotive operation, signal observation, speed control, braking, vigilance एवं अन्य operational responsibilities के साथ Train Manager की अनुपस्थिति में अतिरिक्त safety duties तथा Tail Lamp, FSD, TSD, WTT आदि Railway equipment/stores का physical carriage करने के लिए बाध्य करना उनके workload एवं safety responsibility को अनुचित रूप से बढ़ाता है।

किसी safety equipment को उपलब्ध कराना Railway administration की जिम्मेदारी है; उसके लिए केवल LP/ALP को carrier बनाना safety requirement का अनिवार्य परिणाम नहीं हो सकता।

अतः संगठन की मांग है कि:

23.09.2026 के आदेश की समीक्षा/स्पष्टीकरण किया जाए और इसे LP/ALP पर अतिरिक्त personal carrying duty के रूप में लागू न किया जाए।

- Train Manager/Guard के अभाव में LP/ALP पर केवल वही duties डाली जाएं जो G&SR/Special Instructions में स्पष्ट रूप से निर्धारित एवं legally permissible हैं।
- Tail Lamp, FSD, TSD, WTT एवं अन्य Railway stores के transportation/custody के लिए उचित departmental mechanism बनाया जाए और इन्हें अनावश्यक रूप से LP/ALP के personal load में शामिल न किया जाए।
- बिना Train Manager Goods Train की व्यवस्था को exceptional provision तक सीमित रखा जाए तथा इसे नियमित manpower-substitution व्यवस्था न बनाया जाए।
- इस विषय में LP/ALP के विरुद्ध कोई adverse action/DAR proceeding केवल मौखिक निर्देश अथवा अस्पष्ट duty allocation के आधार पर न की जाए।
- संगठन यह स्पष्ट करता है कि AILRSA किसी भी safety equipment को हटाने या safety standard को कम करने के पक्ष में नहीं है। हमारा विरोध safety responsibility को एक safety-critical cadre से दूसरे cadre पर अनुचित रूप से transfer करने तथा Railway stores को LP/ALP के व्यक्तिगत physical burden में बदलने के विरुद्ध है।

2.Regarding the handling and transportation of a defined “Explosive substance (detonator)” by LP/ALP

हम अधोहस्ताक्षरी Loco Running Staff का ध्यान इस गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि LP/ALP को duty के दौरान Detonators अपने साथ carry करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

Detonators विस्फोटक प्रकृति की safety equipment हैं। अतः इनके transportation, custody और handling को सामान्य personal luggage की तरह नहीं माना जा सकता।

Railways Act, 1989 की Section 67 dangerous/offensive goods के carriage के संबंध में विशेष statutory safeguards निर्धारित करती है तथा Section 164, Section 67 के उल्लंघन में dangerous goods को railway पर लाने/ले जाने को दंडनीय बनाती है। साथ ही Section 67(6) में Government-authorised carriage से संबंधित विशेष provisions हैं।

अतः केवल मौखिक अथवा सामान्य administrative instruction के आधार पर LP/ALP को Detonators का व्यक्तिगत carrier बनाना उचित नहीं है।

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संगठन safety equipment के उपयोग या train protection के विरुद्ध नहीं है। हमारा प्रश्न केवल यह है कि ऐसे explosive safety equipment की सुरक्षित custody एवं transportation की जिम्मेदारी किस सक्षम प्राधिकारी के लिखित आदेश और किस prescribed procedure के अंतर्गत LP/ALP पर डाली गई है।

अतः हमारी मांग है कि :

- LP/ALP को Detonators व्यक्तिगत रूप से carry करने, यात्रा करने, और रनिंग रूम में अपने बैग में रखने के संबंध में competent authority का स्पष्ट written order एवं applicable rule/procedure उपलब्ध कराया जाए।
- जब तक ऐसी स्पष्ट statutory/competent-authority व्यवस्था उपलब्ध न हो, LP/ALP को Detonators carry करने के लिए बाध्य न किया जाए।
- Detonators के लिए lobby/crew-point based issue, custody and return system अथवा अन्य सुरक्षित departmental arrangement किया जाए।
- केवल Detonators carry करने से इनकार करने पर किसी LP/ALP के विरुद्ध adverse action/DAR proceeding न की जाए, जब तक उसके विरुद्ध स्पष्ट नियम एवं competent written authority प्रस्तुत न की जाए।
- Running staff सुरक्षित train operation के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। अतः safety equipment को हटाने के बजाय उसकी सुरक्षित custody एवं transportation की प्रशासनिक व्यवस्था की जाए।

3.Representation seeking the withdrawal of orders requiring LPs/ALPs to carry FSDs.

यदि वरिष्ठ अधिकारी यह समझते हैं कि Fog Safe Device (FSD) train operation से संबंधित महत्वपूर्ण safety equipment है। तो संगठन का स्पष्ट मत है कि आवश्यक safety equipment की उपलब्धता प्रत्येक परिस्थिति में सुनिश्चित की जानी चाहिए।

किन्तु safety equipment की availability और LP/ALP द्वारा उसका व्यक्तिगत physical carriage—दो अलग-अलग विषय हैं।

LP/ALP पहले से locomotive operation, signal observation, speed control, braking, vigilance तथा अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण safety functions का निर्वहन करते हैं। ऐसे में अतिरिक्त equipment को personal baggage के रूप में carry करने की व्यवस्था उनके physical workload तथा duty burden को बढ़ाती है।

अतः हमारी मांग है कि :

- LP/ALP को FSD carry करने के कारण उनके मूल safety duties पर अतिरिक्त workload न डाला जाए।
- Crew द्वारा FSD ढोने की बाध्यता समाप्त की जाए। ताकि हम अपने मूल दायित्व—रेलवे संरक्षा एवं सुरक्षित संचालन—का निर्वहन पूर्ण दक्षता के साथ कर सकें।
- जब तक लोकोमोटिव/EMU/MEMU/DMU में FSD (फॉग सेफ डिवाइस) लगाने की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कृपया यह व्यवस्था करें कि ट्रेन के रवाना होने के

समय स्टेशन प्लेटफॉर्म या यार्ड में लोकोमोटिव पर ऑपरेटिंग विभाग या आउटसोर्सिंग स्टाफ द्वारा CREW को FSD सौंप दिया जाए, और गंतव्य पर पहुँचने पर ऑपरेटिंग विभाग या आउटसोर्सिंग स्टाफ द्वारा ही उसे वापस ले लिया जाए।

- FSD carry करने से संबंधित आपत्ति पर किसी LP/ALP के विरुद्ध adverse/DAR action न लिया जाए, जब तक स्पष्ट written authority एवं prescribed procedure उपलब्ध न हो।
- प्रशासन इस विषय पर reasoned speaking order जारी करे।

संगठन पुनः स्पष्ट करता है कि AILRSA FSD अथवा किसी अन्य safety device को हटाने की मांग नहीं कर रहा है। हमारी मांग केवल इतनी है कि आवश्यक safety equipment की व्यवस्था Railway द्वारा सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से की जाए और LP/ALP को अनावश्यक रूप से उसका carrier न बनाया जाए।

अतः उपरोक्त विषय पर तत्काल पुनर्विचार कर संगठन के साथ उचित चर्चा एवं स्पष्ट लिखित निर्देश जारी करने की कृपा की जाए।

आपका

Divisional President / Divisional Secretary

AILRSA, Mumbai Division

एवं समस्त निम्न हस्ताक्षरित लोको रनिंग स्टॉफ

विषय :- 23.09.2026 को Tail Lamp से संबंधित पत्र, विस्फोटक पदार्थ डेटोनेटर को ढोने, और FSD ढोने का निम्न लोको रनिंग स्टॉफ का विरोध और दिनांक 01.11.2026 से इसे CARRY न करने की पूर्व सूचना हेतु संयुक्त हस्ताक्षर :-

[illegible]

